

दिनांक- 17 अक्टूबर, 2008 को संपन्न शैक्षणिक परिषद की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

शैक्षणिक परिषद की प्रथम बैठक दिनांक- 17 अक्टूबर, 2008 को होटल रॉयल प्लाजा, गंगटोक में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1. प्रो. महेंद्र पी लामा, कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2. प्रो. वाई.डी. प्रसाद, पूर्व निदेशक, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टडीज एवं पूर्व डीन, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, पटना विश्वविद्यालय	सदस्य
3. प्रो. आर.पी. तिवारी, डीन, स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड अर्थ साइंस, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजल	सदस्य
4. प्रो. रवि शंकर श्रीवास्तव, सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
5. प्रो.(डॉ.) जे.पी. शर्मा, इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस, दिल्ली	सदस्य
6. प्रो. पीके बानिक, निदेशक, एनआईटी, सिलचर	सदस्य
7. प्रो. वीएस प्रसाद, पूर्व निदेशक, नैक, बंगलूरु	सदस्य
8. श्री संजय हजारिका, सेंटर फॉर नार्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च	सदस्य
9. प्रो. इफ्तखार अहमद, निदेशक, एजेकेएमसीआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली	सदस्य
10. डॉ. जीसी योनजोन, पूर्व प्रिंसिपल, किलंगपोंग कॉलेज	सदस्य
11. डॉ. नीलिमा देशमुख, निदेशक, सेंटर फॉर वूमन स्टडीज एंड डेवलपमेंट, नागपुर, विश्वविद्यालय, नागपुर	सदस्य
12. प्रो. अंजन मुखर्जी, गणित विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय	सदस्य
13. प्रो. मानवेंद्र किशोर दास, डीन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	सदस्य
श्री एसके सरकार, कुलसचिव, सिक्किम विश्वविद्यालय	पदेन सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके:-

1. प्रो. एआर रेड्डी, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, हैदराबाद विश्वविद्यालय
2. प्रो. सुरंजनदास, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय
3. प्रो. टी करुणाकरण, पूर्व कुलपति, गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट
4. प्रो. (डॉ.) एसएफ पाटिल, पूर्व डीन ऑफ साइंस, पुणे विश्वविद्यालय एवं पूर्व कुलपति, भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे
5. प्रो. टंका बहादुर सुब्बा, विभागाध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, नेहू, शिलांग
6. प्रो. अतुल शर्मा, पूर्व कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर

7. प्रो. तीस्ता बागची, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
8. प्रो. जे. वर्गीज, पूर्व कुलपति, एचएनएलयू, रायपुर

सिक्किम विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय के सहायतार्थ बैठक में भाग लिया:-

1. श्री पीवी रवि, वित्त अधिकारी
2. श्री एस गोपीनाथ, विशेष कार्याधिकारी
3. डॉ. जेपी तमांग, शैक्षणिक समन्वयक
4. श्री विमल खवास, एसोशिएट फेलो

पूर्वाहन में चिंतन भवन, गंगटोक में शैक्षणिक परिषद के पूर्ण अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि श्री बीपी सिंह, महामहिम राज्यपाल, सिक्किम सरकार और मुख्य रेक्टर, सिक्किम विश्वविद्यालय उपस्थित हुए। श्री पीडी राय, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग आयोग ने भी इस मौके पर अपनी गरियामयी उपस्थिति दर्ज कराई। शैक्षणिक परिषद के सम्माननीय सदस्यों का परिचय माननीय मुख्य रेक्टर और अन्य मौजूद महानुभावों यथा सिक्किम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सिक्किम की सिविल सोसायटी के माननीय सदस्यों, केंद्रीय एवं राज्य इंस्टीट्यूट के शिक्षावेत्ताओं, मीडिया कर्मियों, सिक्किम विश्वविद्यालय एवं इससे संबंधित कॉलेजों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, शिक्षक और विद्यार्थियों से कराया गया। प्रो. महेंद्र पी लामा, कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुलपति जी ने विश्वविद्यालय के मिशन के बारे में विस्तार से बताया और इसे पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।

अपराहन में कार्यवाही सत्र का संचालन होटल रॉयल प्लाजा में हुआ। कार्यसूची पर चर्चा से पहले कुलपति जी ने एक बार पुनः माननीय सदस्यों का स्वागत किया और उनके बैठक में भाग लेने पर आभार जताया। इसके उपरांत कार्यसूची की मर्दें चर्चा हेतु प्रस्तुत की गईं।

एसी:01:01 यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार अंग्रेजी (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) एवं अंग्रेजी (अनिवार्य) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन
परिषद ने अनुलग्नक-01 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार अंग्रेजी (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) एवं अंग्रेजी (अनिवार्य) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।

एसी:01:02 यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार नेपाली (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) एवं नेपाली (अनिवार्य) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन
परिषद ने अनुलग्नक-02 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार नेपाली (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) एवं नेपाली (अनिवार्य) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।

एसी:01:03 यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार लेपचा (सामान्य) एवं लेपचा (अनिवार्य) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन
परिषद ने अनुलग्नक-03 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार लेपचा (सामान्य) एवं लेपचा (अनिवार्य) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।

- एसी:01:20** यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार गणित (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन परिषद ने अनुलग्नक-20 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार गणित (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।
- एसी:01:21** यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार माइक्रोबायोलोजी (प्रतिष्ठा) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन परिषद ने अनुलग्नक-21 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार माइक्रोबायोलोजी (प्रतिष्ठा) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।
- एसी:01:22** यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार वाणिज्य (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन परिषद ने अनुलग्नक-22 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार वाणिज्य (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।
- एसी:01:23** यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार विधि (एलएलबी) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन परिषद ने अनुलग्नक-23 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार विधि (एलएलबी) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।
- एसी:01:24** यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार फार्मसी (बी. फार्मा) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन परिषद ने अनुलग्नक-24 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार फार्मसी (बी. फार्मा) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।
- एसी:01:25** यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक(प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन परिषद ने अनुलग्नक-25 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक(प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।
- एसी:01:26** यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार शिक्षा में स्नातक(प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम) के पाठ्यक्रम का अनुमोदन परिषद ने अनुलग्नक-26 के अनुरूप यूजी सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा तैयार शिक्षा में स्नातक(प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम) के पाठ्यक्रम को सेमेस्टर प्रणाली के तहत अनुमोदित किया।

मद सं. एसी:01:01 से एसी:01:26 के अनुमोदन के दौरान परिषद ने विश्वविद्यालय टीम की इस बात के लिए सराहना की कि बहुत ही अल्प समय में टीम ने पूर्व स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों की समीक्षा पूर्ण कर ली। हालांकि, यह भी सलाह दी गई कि इन सभी पाठ्यक्रमों हेतु गठित होने वाले उनके संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज से समीक्षा के उपरांत इसे परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।

एसी:01:27

सेमेस्टर सिस्टम के तहत आने वाले पूर्व स्नातक कोर्स की संरचना का अनुमोदन

परिषद को यह ज्ञात हुआ कि सक्किम विश्वविद्यालय से संबद्ध सिक्किम के सभी कॉलेजों ने सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया जिसमें अंतर विषयी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली को समाहित किया गया है। परिषद को यह भी एहसास हुआ कि इससे गहन अकादमिक समयावधि और शीघ्र मूल्यांकन पद्धति को बढ़ावा मिलेगा।

कोर्स की संरचना के अनुमोदन के दौरान परिषद ने यह भी सलाह दी की इसकी समीक्षा द्वितीय सेमेस्टर के उपरांत की जानी चाहिए।

एसी:01:28

संबद्ध कॉलेजों में परा स्नातक कोर्स एमएड, एम. फार्मा एवं एलएलएम का अनुमोदन

परिषद को यह ज्ञात हुआ कि नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी ने सिक्किम के तीन कॉलेजों को पीजी कोर्स चलाने की संबद्धता प्रदान की है। ये कॉलेज हैं- हरका माया कॉलेज ऑफ एजुकेशन(एम. एड. कोर्स), हिमालयन फार्मसी इंस्टीट्यूट (एम. फार्मा) और सक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज(एल. एल. एम)। कुलपति जी ने इन कॉलेजों में नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे पी.जी. कोर्स को जारी रखने का अनुमोदन इस शर्त के साथ दी कि जब तक सिक्किम विश्वविद्यालय इन तीनों कोर्सों के लिए अपना पाठ्यक्रम नहीं तैयार कर लेता है तब तक वे इसे जारी रखें।

परिषद ने कुलपति द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई का अनुमोदन किया ।

एसी:01:29

परा स्नातक कोर्स 1) समाजशास्त्र, 2) अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति 3) शांति एवं संघर्ष अध्ययन 4) माइक्रोबायोलोजी के पाठ्यक्रम का अनुमोदन

सिक्किम विश्वविद्यालय ने सत्र 2008-09 के दौरान निम्नलिखित परा स्नातक कोर्स की शुरुआत की-

- 1) समाजशास्त्र (स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अधीन)
- 2) अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति (स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज के अधीन)
- 3) शांति एवं संघर्ष अध्ययन (स्कूल ऑफ पीस, कनफ्लिक्ट ऐंड ह्युमन सिक्योरिटी स्टडीज के अधीन)
- 4) माइक्रोबायोलोजी (स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अधीन)

इन पाठ्यक्रमों का सिलेबस यूजीसी मॉडल पर तैयार किया गया है जैसा कि जेएनयू, बीएचयू, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, ओसमानिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में है और यह अनुलग्नक 28-31 पर देखा जा सकता है। कुलपति जी ने इन पीजी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर के लिए अपनाए गए सिलेबस को तब तक के लिए अनुमोदित किया जब तक कि इस हेतु गठित पीजी क्युरीकुलम कमिटी उसे अंतिम रूप नहीं दे देती है।

परिषद ने कुलपति द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई का अनुमोदन किया ।

एसी:01:30

सिक्किम विश्वविद्यालय में चालू मूल्यांकन पद्धति पर मंथन एवं अनुमोदन

शैक्षणिक परिषद के संज्ञान में निम्नलिखित बातें आईं:

विश्वविद्यालय ने कॉलेज सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की और सभी कॉलेजों को सेमेस्टर पद्धति के तहत लाया गया, साथ ही अंतर विषयी क्युरीकुलम और मूल्यांकन पद्धति को अपनाया गया। सेमेस्टर पद्धति से गहन शैक्षणिक समयावधि और शीघ्र मूल्यांकन में सहायता मिलती है। इससे शिक्षक एवं छात्र के बीच गहन विचार प्रक्रिया से सभी छात्रों के व्यक्तिगत परफारमेंस का रिकार्ड रखने एवं उन पर निगरानी रखने में मदद मिलती है।

अब विद्यार्थियों और फैकल्टी सदस्यों का गृहभावकाश तो छोटा होगा परंतु शीतकालीन अवकाश अपेक्षाकृत लंबा होगा।

विश्वविद्यालय पूर्व स्नातक और परास्नातक परीक्षाओं के लिए पूर्ण आंतरिक मूल्यांकन पद्धति को अपनाने को प्रस्तावित करता है। सभी सत्रावधि(टर्म) टेस्ट, मध्य सत्रावधि टेस्ट एवं सत्रांत टेस्ट की उत्तर पुस्तिका का संबंधित पाठ्यक्रम के शिक्षक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इससे यह होगा कि एक ही शिक्षक पढ़ाएगा, प्रश्न पत्र भी तैयार करेगा और छात्र-छात्राओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी करेगा। कोर्स टीचर उत्तरपुस्तिका पर क्लास में विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी करेगा और यह भी इंगित करेगा कि उसने कहां सही किया है और कहां गलत। इससे मूल्यांकन का कार्य द्विआयामी और सर्वसुलभ होगा।

हालांकि सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जो कोर्स टीचर द्वारा जांच की जाएगी उसमें से 30 फीसदी उत्तर पुस्तिकाओं को यादृच्छिक रूप से सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा चयन कर बाहरी परीक्षकों से उसकी जांच करवाई जाएगी। यदि कोर्स शिक्षक और बाह्य परीक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन में 20 प्रतिशत तक का अंतर आता है तो आंतरिक कोर्स शिक्षक के मूल्यांकन को अंतिम माना जाएगा परंतु यदि यह अंतर 20 प्रतिशत से ज्यादा का आता है तो उत्तर पुस्तिका को किसी तीसरे बाह्य परीक्षक के पास मूल्यांकन हेतु भेजा जाएगा और उसके द्वारा दिए गए अंक को अंतिम माना जाएगा। इससे एक तो पक्षपात को कम किया जा सकता है और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में शिक्षक की व्यक्तिनिष्ठता भी हावी नहीं होगी।

शैक्षणिक परिषद परीक्षण के तौर पर एक साल के लिए (दो सेमेस्टर) उपर्युक्त मूल्यांकन पद्धति को अनुमोदित करता है और कुलपति से यह अपेक्षा की जाती है कि इस पद्धति की समीक्षा हेतु आवश्यक कदम अपने द्वारा इस हेतु पठित कमिटी के माध्यम से उठाए और कमिटी के निष्कर्ष को नियत समय पर परिषद के विचारार्थ रखे।

एसी:01:31 1) स्कूल ऑफ सोशल साइंस, 2) स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज, 3) स्कूल ऑफ पीस, कनफ्लिक्ट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज, एवं 4) स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के स्कूल बोर्ड के पठन का अनुमोदन

परिषद ने इस बात की तसदीक की कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(1) (जे) के साथ पठित संविधि 15 के खंड (2) के अनुसार प्रत्येक स्कूल हेतु एक स्कूल बोर्ड होगा।

परिषद ने कुलपति को उक्त अनुसार 1) स्कूल ऑफ सोशल साइंस, 2) स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज, 3) स्कूल ऑफ पीस, कनफ्लिक्ट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज, एवं 4) स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के लिए स्कूल बोर्ड पठित करने को प्राधिकृत किया।

एसी:01:32 बोर्ड ऑफ स्टडीज के पठन का अनुमोदन

परिषद ने इस बात की तसदीक की कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(1) (जे) के साथ पठित संविधि 16 के खंड (2) के अनुसार यूजी और पीजी स्तर पर पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषयों के लिए एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा।

परिषद ने कुलपति को संबंधित स्कूल बोर्ड पठित करने को प्राधिकृत किया।

एसी:01:33 वर्ष 2009-10 के दौरान प्रस्तावित स्कूल एवं उनके केंद्र (एकीकृत कोर्स सहित)

परिषद द्वारा 11वीं योजना अवधि (2007-12) में 17 स्कूलों के अंतर्गत 40 शैक्षणिक विभाग खोलने पर विचार किया गया।

परिषद ने अधोलिखित 40 विभागों के खोलने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। हालांकि इनके वर्गीकरण पर परिषद की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

परिषद द्वारा स्वीकृत स्कूल ऑफ स्टडीज:

- 1 स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज
- 2 स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज
- 3 स्कूल ऑफ लॉ एंड वरनेस
- 4 स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज
- 5 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
- 6 स्कूल ऑफ मीडिया, कम्युनिकेशन एंड इंफोरमेशन साइंसेज
- 7 स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज
- 8 स्कूल ऑफ इवायरमेंटल स्टडीज
- 9 स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
- 10 स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज
- 11 स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज
- 12 स्कूल ऑफ प्लानिं, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिं
- 13 स्कूल ऑफ मेडीसिन
- 14 स्कूल ऑफ इंडिजनस एंड फॉक स्टडीज
- 15 स्कूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड मैनेजमेंट
- 16 स्कूल ऑफ पीस, कनफ्लिक्ट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज
- 17 स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिं एंड स्टडीज

उपर्युक्त स्कूल ऑफ स्टडीज के तहत परिषद द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक विभा:

- सोशल सिस्टम्स और नृविज्ञान विभा
- भूोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभा
- शिक्षा योजना एवं विकास विभा
- आर्थिक अध्ययन और योजना विभा
- मनोविज्ञान अध्ययन विभा
- अंतरराष्ट्रीय संबंध विभा
- नेबरहुड स्टडीज विभा
- वैश्वीकरण अध्ययन विभा
- कानून और कानूनी न्यायशास्त्र अध्ययन विभा
- पर्यावरण और जैव विविधता कानून विभा
- नेपाली भाषा और साहित्य विभा
- एशियाई भाषा विभा (5 साल बीए-एमए एकीकृत पाठ्यक्रम)
- भाषाई अध्ययन विभा

व्यवसाय प्रशासन विभा (5 वर्षीय बीबीए-एमबीए एकीकृत पाठ्यक्रम)

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभा

पत्रकारिता अध्ययन विभा

कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभा (5 वर्षीय बीसीए-एमसीए एकीकृत)

जलवायु परिवर्तन अध्ययन विभा

जैव प्रौद्योगिकी की विभा (5 वर्षीय बीएससी-एमएससी एकीकृत पाठ्यक्रम)

प्राणी विज्ञान विभा (जूलॉजी)

पौधा विज्ञान विभा (वनस्पति विज्ञान)

माइक्रोबायोलॉजी विभा

भौतिक विज्ञान विभा

गणित और सांख्यिकी विभा

रसायन विज्ञान विभा

शहरी, क्षेत्रीय और पर्यावरण योजना विभा (बी. प्लान और एम. प्लान- छह वर्षीय एकीकृत डिग्री कार्यक्रम)

भूविज्ञान और पृथ्वी विज्ञान विभा

फार्मसी स्टडीज विभा (बीफ़र्म + एम फार्मा छह साल एकीकृत)

हस्तशिल्प, कला, डिजाइन और फैशन प्रौद्योगिकी की विभा

खाद्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी की और पोषण प्रबंधन विभा

लोक संगीत, थियेटर और साहित्य विभा

ऊर्जा अध्ययन विभा

सतत पर्वत विकास विभा

पर्यटन विकास और प्रबंधन विभा

पुष्प खेती और बागवानी प्रबंधन विभाग

सैन्य विज्ञान और रक्षा अध्ययन विभाग

आपदा निवारण और प्रबंधन विभाग

शांति और संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग

स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड स्टडीज

40. एथनो बॉटनी और सामाजिक चिकित्सा अध्ययन विभाग

एसी:01:34 वर्ष 2009-10 में शुरू होने वाले विभिन्न परा स्नातक प्रोग्राम के क्युरीकलम बनाने हेतु कमिटी का गठन

यह प्रस्तावित किया गया कि विभिन्न परा स्नातक प्रोग्राम के क्युरीकलम तैयार करने हेतु कमिटी गठित की जाए। कमिटी शिक्षण विधि पर अध्ययन करेगी।

परिषद द्वारा कमिटी गठित करने के लिए कुलपति को प्राधिकृत किया गया।

एसी:01:35 शैक्षणिक कार्यक्रमों, अनुसंधान गतिविधियों, फैकल्टी और छात्रों के आदान-प्रदान पर एमओयू समेत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोजन

शैक्षणिक परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 5 (xi) के अनुसार विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षण संस्थान के साथ संबद्धता या सहयोजन करने की शक्ति है जिन उद्देश्यों और जैसा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय अकादमिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भों पर सहयोगी अनुसंधान आदि जैसे विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

परिषद ने सिद्धांत रूप में इस पर सहमति व्यक्त की और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कुलपति को प्राधिकृत किया।

इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्यबिंदु नहीं होने के कारण अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हो गई।

हस्ताक्षर/-

(एस. के. सरकार)

कुलसचिव, सिक्किम विश्वविद्यालय और

सचिव, शैक्षणिक परिषद

तारीख: